

11

No.EDN-H(8)/2006-(Gen. Instructions)
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla.
Telefax 0177-2812882 e-mail:dir.edu@rediffmail.com
Dated: Shimla-171001, the December, 2014.

From:-

The Director of Higher Education,
Himachal Pradesh, Shimla-1.

To


All the Heads
Private Colleges in Himachal Pradesh.
CAs pa kstaitched

Subject: Regarding Cabinet decision for making compulsory the collection of rain water from the roof tops of building in the urban areas as also from the roof tops of large commercial/ institutional buildings located anywhere in the state-Implementation thereof.

Memo:

Kindly find enclosed herewith photo copy of letter No. -Nil- dated -17-11-2014 (along with its enclosures) received from Sh. Vinod Kumar Guleria (Architecture) member coordinator, collection of rain water Management Committee, Himachal Pradesh through Under Secretary (Hr. Edu.) to the Govt. of Himachal Pradesh vide letter No. EDN-A-Kha (15)-8/2014, dated 19-11-2014, on the subject cited above.

You are, therefore, directed to implement the Cabinet decision for making compulsory the collection of rain water from the roof tops of buildings in the urban areas as also from the roof tops of large commercial/ institutional buildings located anywhere in the state.




(Dr. Amar Dev)
Joint Director of Higher Education(C)
Himachal Pradesh, Shimla.
December. 2014.

Endst. No. Even Dated: Shimla-171001 the

Copy to:-

1. The Principal Secretary (Hr.Edu.) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 w.r.t. his letter No. EDN-A-Kha (15)-8/2014, dated 19-11-2014.
2. Guard file.



Joint Director of Higher Education(C)
Himachal Pradesh, Shimla.

②
453015
09-12-14

No. EDN-A-Kha (15)-8/2014
Government of Himachal Pradesh
Department of Higher Education

From

The Pr. Secretary (Hr. Education) to the,
Government of Himachal Pradesh

To

Director of Higher Education,
Himachal Pradesh Shimla-171001.

Dated, Shimla-2 the 19th November, 2014.

Subject: Reg. Cabinet decision for making compulsory the collection of rain water from the roof tops of buildings in the urban areas as also from the roof tops of large commercial/institutional buildings located anywhere in the state-Implementation thereof.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of letter no.nil, dated: nil (along with its enclosures) received from Sh. Vinod Kumar Guleria (Architecture) member coordinator, collection of rain water Management Committee, Himachal Pradesh University, Summer Hill Shimla-5, on the subject above and to request you to take necessary action in the matter under intimation to this department.

Monitoring Cell	447333
DHE	
20 NOV 2014	21/11/14
Branch	Building

Yours faithfully

[Signature]

(Pushpa Chaudhary)

Under Secretary (Hr. Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh

Sh. Sanjeev Sharma

[Signature]
11/11/14

(35)

(3)

Computer Diary No..... 13/11
53039629

विनम्र निवेदन

सेवा में

सचिव,
शिक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

विषय:- प्रदेश के शैक्षणिक भवनों की छतों से वर्षा जल संग्रहण के कार्यों की अनिवार्यता।

संदर्भ:- केबिनेट के फैसले के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण हेतु कानून निर्माण "Legislation on Rain Water Harvesting".

महोदय जी,

विनम्रता पूर्वक उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक2012 के अंतर्गत स्मरण करवाना आवश्यक है कि प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों एवं व्यावसायिक परिसरों को विभिन्न विधाओं के अंतर्गत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रदेश के शैक्षणिक परिसरों के शौचालयों को भवनों की छतों से संग्रहित किये जाने वाले वर्षा जल से जोड़ा जाना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया गया है। संलग्न 1-2 ("Legislation on Rain Water Harvesting".)

माननीय उच्च न्यायलय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के वर्षा जल संग्रहण प्रबंधन प्रकोष्ठ में कार्य ग्रहण के उपरांत ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय विकास परिषद् कार्यालय के निदेशक/अधिष्ठाता द्वारा विश्वविद्यालय की हैंड बुक (Hand Book) के अनुसार प्रदेश के शैक्षणिक परिसरों के महाविद्यालयों को Affiliation and Recognition जारी करने हेतु प्रदेश के शैक्षणिक परिसरों के भवनों (शौचालयों) एवं शैक्षणिक ढांचो से संबंधित आवश्यक निरीक्षण रिपोर्ट अनापति प्रमाण पत्र (N.O.C.) जारी करने से पहले सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

लेकिन केबिनेट के फैसले के अंतर्गत प्रदेश में शैक्षणिक भवनों की छतों से वर्षा जल संग्रहण को परिसर के प्रत्येक शौचालय से जुड़े होने की उचित निरीक्षण रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की जाती है। न ही विश्वविद्यालय परिसर में वर्षा जल को शौचालयों से जुड़े होने का रिकार्ड तैयार किया जाता है। जबकि निदेशक/अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद् के अधीनस्थ "वर्षा जल संग्रहण प्रबंधन प्रकोष्ठ" माननीय उच्च न्यायलय द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत माननीय कुलपति जी की स्वीकृति द्वारा स्थापित किया गया है। व इस प्रकोष्ठ के संचालन हेतु इस विषय के तकनीकी योग्यता

13/11
BSC/11
11/11
11/11

धारक कर्मचारी को इनक कार्यों हेतू तैनात किया गया है। उपरोक्त विषय के अंतर्गत विज्ञान पर्यावरण एवं तकनीकी विभाग के निदेशक/सचिव द्वारा दिनांक 30, अगस्त, 2012, को कुलपति जी को इसे इम्प्लीमेंट करने हेतू प्रेषित किया गया है।(संलग्न-3)

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रदेश के शैक्षणिक ढांचों के अंतर्गत जारी की जाने वाली Affiliation and Reorganization हेतू प्रदान करने की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को जारी किये जाने वाले (N.O.C.) अनापति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले केबिनेट के फैसले की अनुपालना हेतू प्रदेश के शैक्षणिक भवनों की छतों से वर्षा जल संग्रहण को प्रत्येक शौचालय से जुड़े होने की उचित निरीक्षण रिपोर्ट भी साथ में जुटाने हेतू आवश्यक निवेदन माननीय कुलपति जी को प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि निदेशक/अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद् के अधीनस्थ वर्षा जल संग्रहण प्रबंधन प्रकोष्ठ के तकनीकी कर्मचारी द्वारा प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों के भवनों की छतों से वर्षा जल संग्रहण प्रबंधन के अनुश्रवणात्मक कार्यों का सम्पूर्ण रिकॉर्ड रिपोर्ट/डाटा विश्वविद्यालय हित में प्रदेश सरकार की केबिनेट के फैसले की अनुपालना हेतू अनिवार्य किया जा सके।

भवदीय

विनोद कुमार गुलेरिया (प्रारूपकार)
सदस्य संयोजक, वर्षा जल संग्रहण
प्रबंधन प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय समरहिल शिमला-5

प्रतिलिपि:-

1. व. नि. स. कुलपति कार्यालय की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू विनम्र निवेदन।
2. कुलसचिव माननीय उच्च न्यायलय (Hon'ble High Court) द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना हेतू आवश्यक सूचना।
3. अधिष्ठाता/निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद् की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू विनम्र निवेदन।

भवदीय

विनोद कुमार गुलेरिया (प्रारूपकार)
सदस्य संयोजक, वर्षा जल संग्रहण
प्रबंधन प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय समरहिल शिमला-5